No. 23]



#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

	PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

## वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 23(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 8 की उपधारा (8) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (अधिह्नत संपत्ति का प्रत्याहरण) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अधिहृत संपत्ति का प्रत्याहरण) संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. धन शोधन निवारण (अधिहृत संपत्ति का प्रत्याहरण) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उप नियम (1) में "अधिहृत" शब्द का लोप किया जाएगा।
  - 3. उक्त नियमों में, नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3अ विचारण के दौरान संपत्ति के प्रत्याहरण की रीति,- (1) विशेष न्यायालय, अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित करने के पश्चात्, किसी संपत्ति के प्रत्याहरण के लिए दिए गए किसी आवेदन के आधार पर जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कुर्क या धारा 17 के अधीन अभिग्रहीत या धारा 18 के अधीन अधिहृत करने से पूर्व अवरुद्ध की गई है। यदि वह ठीक समझे, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (8) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा उस स्थान पर, जहां संपत्ति अवस्थित है, में पर्याप्त परिचालन रखने वाली जनभाषा में एक सूचना का प्रकाशन करवाएगा जिसमें दावाकर्ताओं से, जिनका ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग में विधिमान्य हित है, में उनका दावा, यदि कोई हो, को ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण अभिप्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने और सिद्ध करने के लिए कह सकेगा।

232 GI/2019 (1)

- (2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट संपत्ति धन शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप दावाकर्ता द्वारा विशेष न्यायालय, जैसा वह ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को, ऐसी संपत्ति की नीलामी का, यदि आवश्यक हो अंश और प्रत्येक दावाकर्ता अनुपातता के आधार पर उसका संवितरण करने का निदेश देते हुए संपत्ति के प्रत्याहरण का आदेश पारित कर सकेगा और उसकी अभिरक्षा, ऐसे दावाकर्ता को, विशेष न्यायालय के समक्ष, जब कभी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या प्रत्याहृत संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए उसके बांड वचनपत्र के आधार पर, दे सकेगा।
- (3) कोई दावाकर्ता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से परे उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नोटिस के अनुसार विशेष न्यायालय के समक्ष संपत्ति के प्रत्याहरण के लिए हकदार नहीं होगा:

परंतु विशेष न्यायालय किसी दावे को और तीस दिनों के अनधिक अवधि के भीतर यह समाधान हो जाने पर कि दावाकर्ता पर्याप्त कारणों से निवारित था, दावे को ग्रहण कर सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के मालिक, या उसकी मृत्यु की दशा में, ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या शासकीय समनुदेशिती या शासकीय प्रापक, यथास्थिति, को सुनवाई का अवसर दिए बिना, कोई प्रत्याहरण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. पी.12011/5/2015-एसओ(ईएस सेल)] बिप्लब कुमार नसकर, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 913(अ), तारीख 26 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2019

- **G.S.R. 23(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (x) of sub-section (2) of section 73, read with sub-section (8) of section 8 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Restoration of Confiscated Property) Rules, 2016, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Restoration of Confiscated Property) Amendment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prevention of Money-laundering (Restoration of Confiscated Property) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), the word "Confiscated" shall be omitted.
  - 3. In the said rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—
- **"3 A. Manner of restoration of property during trial.** (1) The Special Court, after framing of the charge under section 4 of the Act, on the basis of an application moved for restoration of a property attached under sub-section (1) of section 5, or, seized or frozen under section 17 or section 18 of the Act prior to confiscation, if it thinks fit, may, for the purposes of the second proviso to sub-section (8) of section 8 of the Act, cause to be published a notice in two daily newspapers, one in English language and one in vernacular language, having sufficient circulation in the locality where such property is situated calling upon the claimants, who claim to have a legitimate interest in such property or part thereof, to submit and establish their claims, if any, for obtaining restoration of such property or part thereof.
- When the property referred to in sub-rule (1) is insufficient to meet the loss suffered by the claimant as a result of the offence of money-laundering, the Special Court, as it thinks fit, may pass an order of restoration of property directing the Central Government, if necessary, to auction such property and disburse on a pro-rata basis in accordance with the share of loss suffered by each claimant and may give custody thereof to such claimant on his executing a bond undertaking to produce such restored property before the Special Court as and when required for the purposes of sub-section (5) or sub-section (6) or sub-section (7) of section 8 of the Act.

(3) No claimant shall be entitled to claim restoration of the property referred in sub-rule (1) before the Special Court beyond thirty days from the date of publication of the notice referred to in that sub-rule:

Provided that the Special Court may entertain any claim not exceeding further thirty days, upon the satisfaction that the claimant was prevented by sufficient cause.

(4) No restoration order shall be passed by the Special Court under this rule, without giving an opportunity of being heard to the owner of the property referred to in sub-rule (1) or in the event of his death, the legal representatives of such person or official assignee or official receiver, as the case may be.".

[F. No. P.12011/5/2015-SO(ES Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 913(E), dated the 26th September, 2016.